

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 155 / प्र0अ0-भवन / जोन-1 / 2013-14 दिनांक 04/09/2014

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा नजूल भूखण्ड संख्या-46 सिविल स्टेशन, फ्री होल्ड उपखण्ड संख्या-46/5 मुहल्ला सरदार पटेल मार्ग, सिविल स्टेशन इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत व्यवसायिक भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 05 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. अवस्थापना सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त/नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के कम में कोई देयता/प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते हैं तो उसका भुगतान/अनुपालन शपथकर्ता पर बाध्यकारी होगा।
6. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही किया जाय।
7. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
10. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चों से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
11. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
12. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
13. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

Read me again Apr 14
map of permission
letters for
S. S. Sharma Delhi
12/8/14

04/09/2014
(पुष्कर श्रीवास्तव)
प्रभारी अधिकारी (त0स0-2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

g/c

PLOT DEWAN & COMPANY
(IUD)

यह स्थल/निर्माण इलाक़ा है। पूर्ण प्रमाणित
ग्राहक के बाद ही इस परिसर का वास्तविक
उपयोग किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार
सुख शान्त देवी व/ओ श्री विरेन्द्रा कुमार
के द्वारा










सुख शान्त देवी व/ओ श्री विरेन्द्रा कुमार
के द्वारा



TO BE DEMOLISHED SHOWN THIS
PROP. AREA SHOWN THUS



Jai Kirti Singh
B.Tech. (Civil), FIVAE (INDIA)
Engineer & Architectural Designer
(Approved by Govt. of U.P.)
Regn. No. AM - 059130-3
SIGN OF ENGINEER



SNO.	PARTICULAR OF AREA	SQ. MT.
01	TOTAL PLOT AREA	137.40
02	PROP. AREA ON STILLT FLOOR	47.95
03	PROP. AREA ON 1 st F.	47.95
04	PROP. AREA ON 2 nd F.	47.95
05	PROP. AREA ON 3 rd F.	47.95
06	OPEN AREA OF GROUND FLOOR	81.54
07	MULTI AREA	8.78
08	GROUND FLOOR COVERAGE AREA	39.77
09	% COVERAGE OF GROUND FLOOR	34.67%
10	F.A.R.	1.45

THIS MAP IS PREPARED ACCORDING TO BYE LAWS OF
BHAWAN NIRMAN UPVIDH-2012 AND MAHA YOJNA-2021

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN OF NAZUL PLOT NO. 46 CIVIL STATION ALLAHABAD
SLUB-DIVISION AT PART OF PLOT No.46/5 CIVIL STATION, MOHALLA-SARDAR PATEL MARG,
TEHSIL-SADAR, DISTT. ALLAHABAD.

OWNER:- SMT SHANTI DEVI W/O SRI VIRENDRA KUMAR